



# सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,

नागपूर विभाग शासकीय तंत्रनिकेतन परिसर, सदर, नागपूर

दुरध्वनी क्रं.: ०७१२-६४६५१४५/१४६, फॅक्स क्रं.: ०७१२-२५६१६६३

Web Site :- [www.rdenagpur.org.in](http://www.rdenagpur.org.in)

E-Mail :- [ronagpur.dte@gmail.com](mailto:ronagpur.dte@gmail.com)

क्रमांक :- तंत्रसं/विकाना/इबीसी/२०१६/

दिनांक :- - 7 SEP 2016

प्रति,

प्राचार्य/संचालक

सर्व शासकीय व अशासकीय अनुदानित तसेच खाजगी विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित पदवी/पदव्युत्तर पदवी व पदविका संस्था. नागपूर विभाग, नागपूर.

**विषय :- शैक्षणिक वर्ष 2015-16 मधील पात्र विद्यार्थ्यांना इबीसी शुल्काची प्रतिपूर्ती करणेबाबत.**

**संदर्भ :- उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई यांचे शासन निर्णय**

**क्र. टीईएम-2015/प्र.क्र.219/तांशि-4, दि. 31 मार्च 2016.**

उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णयान्वये आपणांस कळविण्यांत येते की, शैक्षणिक वर्ष 2015-16 मधील पात्र विद्यार्थ्यांना इबीसी. शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याकरिता आपले संस्थेनी विद्यार्थ्यांना इबीसी प्रतिपूर्ती मिळण्याकरिता या कार्यालयात अर्ज सादर केलेले आहेत. सदर अर्जांची उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णयान्वये खाली दिलेल्या मुद्द्यानुसार तपासणी करावयाची असून संस्थेनी खालील दिलेल्या पात्रतेचे निकष लक्षात घेवून विद्यार्थ्यांचे दस्तऐवज खालील दिलेल्या दिनांकास संस्थेनी या कार्यालयास इबीसीचे प्रत्यक्ष काम हाताळणाऱ्या संबंधीत कर्मचाऱ्यानी सोबत घेऊन यावे.


- 1) लाभार्थी विद्यार्थ्यांने नियमितपणे महाविद्यालय/तंत्रनिकेतनामध्ये शिक्षणासाठी वर्गात उपस्थित राहणे आवश्यक राहिल. (अटेंडंस लिस्ट, डिटेंस लिस्ट)
- 2) पात्र लाभार्थी विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश घेतल्यानंतर एखाद्या सत्राची (सेमिस्टरची) परीक्षा दिली नसल्यास अथवा एखाद्या शैक्षणिक वर्षात अनुत्तीर्ण झाल्याने त्या वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसल्यास पुढील वर्षाकरिता सदर योजनेतर्गत सदर विद्यार्थी लाभ मिळण्यास अपात्र राहिल. तथापि, त्यानंतर पुनश्च: त्या सत्र/वर्षात परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर अथवा अंशतः पास (एटीकेटी) झाल्याने त्या अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाल्यास सदर योजनेतील लाभार्थी पुन्हा पात्र ठरेल. (दोन्ही सेमिस्टर निकाल)
- 3) परंतु असे पात्र लाभार्थी विद्यार्थी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतल्यानंतर संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या एकुण कालावधीत दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळी पूर्णतः अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे त्या अभ्यासक्रमाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळाला नसेल तर संबंधित विद्यार्थी प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमाच्या उर्वरित कालावधीसाठी सदर योजनेतर्गत लाभार्थीकरिता कायमस्वरूपी अपात्र ठरेल.
- 4) संबंधित विद्यार्थी स्वतःच्या चुकीच्या वर्तनामुळे समाधानकारक शैक्षणिक प्रगती करित नसल्याबाबत किंवा संबंधित प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अनियमितपणे गैरहजर राहणे इत्यादी स्वरूपाचे गैरवर्तन करित असल्याबाबत संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखाने निदर्शनास आणले तर अशा विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती थांबविण्यांत किंवा रद्द करण्यांत येईल.
- 5) ज्या अभ्यासक्रमाकरिता पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांस प्रतिपूर्ती प्रदान करण्यांत आली आहे तो अभ्यासक्रम संबंधित विद्यार्थ्यांने मध्येच सोडला तर अशा विद्यार्थ्यांस प्रदान केलेल्या प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य शासनास योग्य वाटल्यास विद्यार्थी/विद्यार्थीनीकडून वसूल केली जाईल. (टी.सी.लिस्ट रजिस्टर)

अ. क्र.	संस्थेचा कोड नं.	दिनांक	अ.क्र.	संस्थेचा कोड नं.	दिनांक
1	4101	08.09.2016	101	4237	19.09.2016
2	4102	08.09.2016	102	4238	19.09.2016
3	4103	08.09.2016	103	4239	19.09.2016
4	4104	08.09.2016	104	4240	19.09.2016
5	4105	08.09.2016	105	4241	19.09.2016
6	4106	08.09.2016	106	4242	20.09.2016
7	4107	08.09.2016	107	4243	20.09.2016
8	4108	08.09.2016	108	4245	20.09.2016
9	4109	08.09.2016	109	4246	20.09.2016
10	4110	08.09.2016	110	4247	20.09.2016
11	4111	08.09.2016	111	4248	20.09.2016
12	4112	08.09.2016	112	4250	20.09.2016
13	4114	08.09.2016	113	4251	20.09.2016
14	4115	08.09.2016	114	4252	20.09.2016

15	4116	08.09.2016	115	4254	20.09.2016
16	4117	12.09.2016	116	4255	20.09.2016
17	4118	12.09.2016	117	4256	20.09.2016
18	4119	12.09.2016	118	4258	20.09.2016
19	4120	12.09.2016	119	4260	20.09.2016
20	4122	12.09.2016	120	4261	20.09.2016
21	4123	12.09.2016	121	4262	21.09.2016
22	4124	12.09.2016	122	4263	21.09.2016
23	4125	12.09.2016	123	4264	21.09.2016
24	4127	12.09.2016	124	4265	21.09.2016
25	4129	12.09.2016	125	4266	21.09.2016
26	4130	12.09.2016	126	4267	21.09.2016
27	4132	12.09.2016	127	4268	21.09.2016
28	4133	12.09.2016	128	4269	21.09.2016
29	4134	12.09.2016	129	4270	21.09.2016
30	4135	12.09.2016	130	4271	21.09.2016
31	4136	14.09.2016	131	4272	21.09.2016
32	4137	14.09.2016	132	4274	21.09.2016
33	4138	14.09.2016	133	4275	21.09.2016
34	4139	14.09.2016	134	4276	21.09.2016
35	4141	14.09.2016	135	4277	21.09.2016
36	4142	14.09.2016	136	4278	22.09.2016
37	4143	14.09.2016	137	4279	22.09.2016
38	4144	14.09.2016	138	4280	22.09.2016
39	4145	14.09.2016	139	4281	22.09.2016
40	4146	14.09.2016	140	4283	22.09.2016
41	4147	14.09.2016	141	4285	22.09.2016
42	4148	14.09.2016	142	4301	22.09.2016
43	4151	14.09.2016	143	4302	22.09.2016
44	4152	14.09.2016	144	4303	22.09.2016
45	4153	14.09.2016	145	4304	22.09.2016
46	4157	15.09.2016	146	4305	22.09.2016
47	4160	15.09.2016	147	4306	22.09.2016
48	4161	15.09.2016	148	4307	22.09.2016
49	4163	15.09.2016	149	4597	22.09.2016
50	4164	15.09.2016	150	4598	23.09.2016
51	4165	15.09.2016	151	4601	23.09.2016
52	4167	15.09.2016	152	4602	23.09.2016
53	4171	15.09.2016	153	4604	23.09.2016
54	4172	15.09.2016	154	4605	23.09.2016
55	4173	15.09.2016	155	4606	23.09.2016
56	4174	15.09.2016	156	4610	23.09.2016
57	4175	15.09.2016	157	4612	23.09.2016
58	4177	15.09.2016	158	4613	23.09.2016
59	4178	15.09.2016	159	4614	23.09.2016
60	4179	15.09.2016	160	4615	23.09.2016
61	4180	16.09.2016	161	4616	23.09.2016
62	4181	16.09.2016	162	4639	23.09.2016
63	4184	16.09.2016	163	4640	23.09.2016
64	4185	16.09.2016	164	4641	23.09.2016
65	4186	16.09.2016	165	4642	26.09.2016
66	4187	16.09.2016	166	4643	26.09.2016

67	4188	16.09.2016	167	4644	26.09.2016
68	4189	16.09.2016	168	4015	26.09.2016
69	4190	16.09.2016			
70	4192	16.09.2016			
71	4193	16.09.2016			
72	4194	16.09.2016			
73	4195	16.09.2016			
74	4196	16.09.2016			
75	4197	16.09.2016			
76	4198	17.09.2016			
77	4199	17.09.2016			
78	4201	17.09.2016			
79	4202	17.09.2016			
80	4203	17.09.2016			
81	4204	17.09.2016			
82	4205	17.09.2016			
83	4206	17.09.2016			
84	4207	17.09.2016			
85	4208	17.09.2016			
86	4209	17.09.2016			
87	4210	17.09.2016			
88	4219	17.09.2016			
89	4222	17.09.2016			
90	4223	17.09.2016			
91	4224	19.09.2016			
92	4226	19.09.2016			
93	4229	19.09.2016			
94	4230	19.09.2016			
95	4231	19.09.2016			
96	4232	19.09.2016			
97	4233	19.09.2016			
98	4234	19.09.2016			
99	4235	19.09.2016			
100	4236	19.09.2016			

तरी दिलेल्या मुद्यान्वये संस्थेने ईबीसी पात्रधारक विद्यार्थ्यांचे दस्तऐवज दिलेल्या मूदतीत या कार्यालयास येवून तपासणी करून घ्यावी.

  
 (गुलाबशिव ठाकरे)  
 सहसंचालक,  
 तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,  
 नागपूर

प्रत : प्रोग्रामर, तंशिविका. नागपूर यांना वेबसाईडवर अपलोड करण्याकरीता.